

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 21.01.2023 को जनपद में अपराधियों के विरूद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम

रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गुड्डू पाठक उर्फ कमलेश पाठक पुत्र रामनरेश नि0 गौर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रूरा पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त दीपू उर्फ विजय पुत्र जगमोहन नि0 गहौवा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मूसानगर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त रणधीर पुत्र असाडू निवासी जुनैदापुर थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मूसानगर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त बलवीर पुत्र ज्ञानसिंह निवासी सुल्तनापुर थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रूरा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. अशोक कुमार पुत्र रामलखन 2. आशीष पुत्र शत्रुघन सिंह उम्र 3. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 रामनरेश सिंह 4. रामकुमार पुत्र स्व0 नाथूराम 5. कल्लू पुत्र भगवानदीन समस्त निवासीगण ग्राम अंगदपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को बंद स्थान में ताश के पत्तो से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1 विनय कुमार पुत्र स्व0 राजकिशोर निवासी ग्राम मूढादेव थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात 2 सुरेश पुत्र मुल्ला केवट 3. प्रमोद कुमार पुत्र रामबाबू 4. मुकेश पुत्र गौरीशंकर निवासीगण रोहिनी थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात को बंद स्थान में ताश के पत्तो से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त पप्पू भदौरिया पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह भदौरिया निवासी बरी थाना मंगलपुर कानपुर देहात को 15 अदद क्वाटर अवैध देशी शराब ट्विन टावर सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया। जिसमें थाना थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया।